0/10/20 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जाहिर किया गया कि वागद्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अलग अलग हिस्सा खुला हुआ है तथा 1/5 हिस्से की भूमि बाबत प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपना हिस्सा बताया हैं इसलिए प्रार्थीगण के हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है। इस हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थीगण का 4/5 हिस्सा इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं ।

अत उभय पक्षकारो की सहमति से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्रम डाबडी के खसरा सख्या 328 रकबा 11 बिश्वा, खसरा सख्या 330/5 रकबा 64 बीघा 07 बिश्वा भूमि के प्रार्थी ईन्द्रसिह के 1/5 हिस्से की भूमि में जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे तथा न ही प्रार्थी के 1/5 हिस्से के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन ही करे अप्रार्थीगण का 4/5 हिस्सा अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त रहेगा।

पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही हैं अत पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वादपत्र के साथ नत्थी हो।

Scanned with CamScanner